मु. नं. 01/17 सरकार/साजिद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/1/26	पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष उप0। पुलिस अधीक्षक स0मा0 द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल (अप्रार्थी) साजिद पुत्र श्री फरियाद अली जाति गद्दी मुसलमान निवासी करमोडा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में निम्न अभियोग पंजीबद्ध होना बताया है :- 1. मुकदमा नं. 287/16 धारा 13 RPGO दिनांक 07/10/2016 जिसमें चार्जशीट नं. 149 दिनांक 13/10/16 को पेश न्यायालय की गई एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नि0मा0 ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 02/11/2016 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 2. मुकदमा नं. 89/17 धारा 13 RPGO दिनांक 05/03/2017 जिसमें चार्जशीट नं. 36 दिनांक 07/3/2017 को पेश न्यायालय की गई एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नि.मा. ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 16/3/2017 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 3. मुकदमा नं. 95/17 धारा 13 RPGO दिनांक 09/3/2017 जिसमें चार्जशीट नं. 39 दिनांक 10/3/2017 को पेश न्यायालय की गई एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नि0मा0 ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 30/03/2017 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल आदतन जुआ खेलने का आदि है तथा रुपयों पैसों का दांव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलता हुआ कई बार पकड़ा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैरसायल को बार-बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानूनी भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहां वह स्वयं को जुआ किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है वहीं अपने लाभ के लिए युवा पी[illegible] में धकेल रहा है। अतः गैरसायल के [illegible] अधिनियम, 1975 की अन्तर्गत कार्यवाही [illegible] चार्जशीट अभियोग पत्र के साथ तालिका में संकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रति, न्यायालय निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत की है। अभियोग पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये वकील एवं असालतन उपस्थित	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharm
Date: 2026.03.09 12:39:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गैरसायल ने बहस में अदालत उपस्थित होकर आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए बहस में निम्नानुसार तर्क दिया —

- यह कि प्रार्थी के विरुद्ध थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में तथ्यों के विपरीत इस्तगासा प्रस्तुत किया है।
- प्रार्थी के विरुद्ध इस्तगासा में गुण्डा अधिनियम से संबंधित अपराध दर्शाया है जो गुण्डा एक्ट की परिभाषा में नहीं आता है।
- प्रार्थी गरीब एवं बाल बच्चेदार व्यक्ति है, मजदूरी करके पालन पोषण करता चला आ रहा है, यदि प्रार्थी को जिला बदर कर दिया तो प्रार्थी के परिवार पर आर्थिक संकट पैदा होने से परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जावेगी।

जवाब के अन्त में गैरसायल द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने बहस में तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं. 89/17 व 95/17 धारा 13 RPGO के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में छः माह की समयावधि में दो बार दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैरसायल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये नगर पालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में रहने वाले नागरिकों को सट्टा की लगाईवाली करने पर पाबन्द करने लग गया और स्वयं खाईवाली करने लग गया। जो लोक व्यवस्था एवं लोक सेवा के लिए घातक है अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्कासित किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनने एवं उस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, ~~सबूतों~~, दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के विरुद्ध उपरोक्तानुसार वर्णित प्रकरण थाना मानटाउन में पंजीबद्ध किये गये जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनियम की धारा 9 सपठित राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नियम 24 में यह प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में अधिनियम की धारा-3 के अधीन आदेश को विखण्डित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित बातों में से किसी पर भी विचार कर सकते हैं :—

1. कि संबंधित व्यक्ति ने अपने आचरण में सुधार दिखलाया हो
2. कि यह विश्वास करने का आधार है कि निष्कासन या प्रतिबंधन का मूल आदेश आवश्यक नहीं था।
3. कि इसको विखण्डित करना अन्यथा जनहित में होगा।

गैरसायल का अपराध अत्यन्त साधारण श्रेणी का है तथा इससे समाज को गंभीर हानि पहुंचने का अंदेशा प्रतीत नहीं होता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही समाज के व्यापक

18/4/17

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Shar
Date: 2026.03.09 12:39:43 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	अहकाम जो ... की तामील में ...
हित में प्रतीत नहीं होती है। गैरसायल के खिलाफ वर्ष 2017 के बाद से आदिनांक तक कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल ने अपने आचरण में सुधार कर लिया है एवं उसकी गतिविधियों एवं कार्य से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हानि होना दर्शित नहीं है अतः उक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नियम 24 के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध सायल द्वारा पेश किया गया अभियोग पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Ve...

Digitally signed by Sa...
Date: 2026.03.09 12...
Reason: SelfAttested